

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा

क्रमांक : ९० /स्था./2021

दिनांक : 19.02.2021

:: आ दे श ::


राज्य सरकार वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या प.12(5)वित्त/नियम 2005 दिनांक 02.09.2016, कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.07.2017 द्वारा किये गए संशोधनों के फलस्वरूप श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्रांक जी/आई/ए-4(i)(a)27/14/6301 दिनांक 26.08.2017 तथा पत्रांक जी/आई/ए-4(i)(a)23/85/8207 दिनांक 09.11.2017 द्वारा भीलवाड़ा न्यायक्षेत्र के लिये जारी पदों के पुर्ननिर्धारण के आदेश में स्वीकृत लिपिक ग्रेड द्वितीय के अभिनिर्धारित पदों पर उपरोक्त आदेशों/अधिसूचना/वित्त विभाग की स्वीकृति की पालना में भीलवाड़ा न्यायक्षेत्र में कार्यरत/सेवानिवृत्त/सेवा के दौरान मृतक निम्नांकित कर्मचारीगण को उनके नाम के आगे अंकित दिनांक से/अवधि तक दिनांक 01.04.2003 के पश्चात् समय-समय पर जारी किये गए अस्थाई तदर्थ पदोन्नति आदेशों को प्रभावशून्य/संशोधित/अतिलंघित कर वरीयता-सह-योग्यता को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर दिनांक 01.04.2003 से वेतन श्रृंखला 3050-75-3950-80-4590 (06) व दिनांक 01.09.2006 से पी.बी.-1 रनिंग पे बैण्ड 5200-20200 ग्रेड-पे 1900/- तथा दिनांक 01.07.2013 से पी.बी.-1 रनिंग पे-बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे 2400/- एवं राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 09.12.2017 के तहत नियमानुसार पे-मैट्रिक्स में लेवल एल-05 के अनुसार वेतन स्वीकृत किया जाकर निम्नानुसार पदोन्नत किया जाता है। :-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी सर्व श्री	पदोन्नति की तिथि व अवधि	विशेष विवरण
1.	इकबाल मोहम्मद छीपा, प्रोसेस सर्वर	07.12.2004 से 01.11.2017 तक	पदोन्नति तक
2.	अरविन्द कुमार शर्मा, प्रोसेस सर्वर	19.02.2005 से 07.07.2019 तक	पदोन्नति तक
3.	बजरंग सिंह चौहान, प्रोसेस सर्वर	19.09.2008 से 01.11.2017 तक	पदोन्नति तक
4.	कन्हैया लाल तड़बा, प्रोसेस सर्वर	24.04.2009 से 01.11.2017 तक	पदोन्नति तक
5.	मुन्ना लाल गुप्ता, प्रोसेस सर्वर	18.10.2012 से 01.11.2017 तक	पदोन्नति तक
6.	हनुमान सूत्रकार, प्रोसेस सर्वर	18.10.2012 से 01.11.2017 तक	पदोन्नति तक
7.	गोपाल लाल रेगर, प्रोसेस सर्वर	18.10.2012 से 01.11.2017 तक	पदोन्नति तक
8.	गोपेश कुमार शर्मा, प्रोसेस सर्वर	30.07.2013 से 01.11.2017 तक	पदोन्नति तक
9.	शैलेश कुमार भट्ट, प्रोसेस सर्वर	11.05.2015 से 05.08.2018 तक	पदोन्नति तक
10.	कैलाश चन्द्र शर्मा, प्रोसेस सर्वर	11.05.2015 से 31.10.2018 तक	पदोन्नति तक
11.	चन्द्रशेखर सुखवाल, प्रोसेस सर्वर	11.05.2015 से 31.12.2018 तक	पदोन्नति तक
12.	लाल सिंह पंवार, च.श्रे.कर्मचारी	24.04.2017 से 31.10.2019 तक	पदोन्नति तक
13.	राजकुमार वैष्णव, च.श्रे.कर्मचारी	13.06.2017 से 31.10.2019 तक	पदोन्नति तक
14.	अशोक कुमार शर्मा, च.श्रे.कर्मचारी	17.11.2017 से 31.12.2019 तक	पदोन्नति तक
15.	भूपेन्द्र शर्मा, प्रोसेस सर्वर	17.11.2017 से 31.01.2020 तक	पदोन्नति तक
16.	मुकेश कुमार शर्मा, प्रोसेस सर्वर	17.11.2017 से 31.01.2020 तक	पदोन्नति तक
17.	गजेन्द्र सिंह, च.श्रे.कर्मचारी	17.11.2017 से लगातार	-
18.	सुरजान शर्मा, प्रोसेस सर्वर	16.04.2018 से लगातार	-
19.	हनुमान दरोगा, प्रोसेस सर्वर	16.04.2018 से लगातार	-
20.	नारायण सिंह बल्ला, च.श्रे.कर्मचारी	16.04.2018 से लगातार	-
21.	प्रकाश मीणा, च.श्रे.कर्मचारी	16.04.2018 से लगातार	-
22.	गोपाल लाल पुरोहित, प्रोसेस सर्वर	25.07.2019 से लगातार	-
23.	प्रताप नोगिया, प्रोसेस सर्वर	31.08.2020 से लगातार	-
24.	गोपाल लाल ओझा, प्रोसेस सर्वर	16.09.2020 से लगातार	-

19/2/2021

नोट :-


01. सम्बंधित न्यायालय द्वारा उक्त पदोन्नति आदेश का इन्द्राज कर्मचारीगण की सेवापुस्तिका में करते हुए नियमानुसार वेतन नियतन किया जावे।
02. सेवानिवृत्त/निधन हो चुके कर्मचारीगण के एरियर की राशि का भुगतान नगद रूप में उनके अंतिम पदस्थापन वाले न्यायालय से किया जावेगा।
03. वर्तमान में कार्यरत/पदस्थापित कर्मचारीगण को पदोन्नति दिनांक से 02.09.2016 तक की एरियर की राशि राजस्थान सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 02.09.2016 के अनुसार उनके जी.पी.एफ. खाते में जमा की जावेगी तथा दिनांक 01.01.2004 के पश्चात् नवीन पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारीगण को उनकी एरियर की राशि का भुगतान नियमानुसार एन.पी.एस की कटौती करते हुए नगद रूप में उनके पदस्थापन वाले न्यायालय में किया जावेगा।
04. उक्त समस्त पदोन्नतियां शेट्टी आयोग की सिफारिश की अनुपालना में दिनांक 01.04.2003 से भूतलक्षी प्रभाव से एक तिथि विशेष को की गई है, ऐसी परिस्थिति में किसी भी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि/भूल पाए जाने एवं राज्य सरकार व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों/आदेशों के अधीन अन्यथा पाए जाने पर, उक्त आदेश में परिवर्तन/संशोधन किया जा सकेगा।
05. वर्तमान में कार्यरत/पदस्थापित कर्मचारीगण के पदस्थापन आदेश पृथक से प्रसारित किये जाएंगे, तब तक समस्त कर्मचारीगण अपने वर्तमान पद पर ही कार्य करते रहेंगे। इस आदेश से पदावनत हो जाने वाले कर्मचारीगण का पदस्थापन आगामी आदेश तक वर्तमान पद पर ही रहेगा।
06. उक्त आदेशों के अधीन यदि किसी कर्मचारी को राशि का अधिक भुगतान हो जाता है तो उसे वापिस राज्यकोष में जमा कराने हेतु कर्मचारी को वचन पत्र देना होगा।
07. यदि कोई कर्मचारी उपरोक्त आदेशानुसार पदावनत होता है तो उसके द्वारा आहरित की गई अधिक राशि नियमानुसार वसूलनीय होगी।
08. यदि उपरोक्त कर्मचारीगण चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्राप्त करने के कारण पहले से ही वे स्वीकृत किये गए नवीन पद के वेतनमान से उच्च वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, तो उनका पातेय वेतन कम नहीं किया जावेगा।
09. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में लंबित प्रकरण संख्या एस.बी.सिविल रिट पीटीशन नंबर 18837/2019 एवं एस.बी.सिविल रिट पीटीशन नंबर 5163/2020 में पारित आदेश के अधीन उक्त पदोन्नति/वरिष्ठता/वरियता रहेगी।
10. इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 80/स्था/2021 दिनांक 12.02.2021 द्वारा जारी अंतिम वरियता सूची के क्रम संख्या 69 पर अंकित कर्मचारी की अनुशंषा बंद लिफाफे में रखी गई है।


जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
भीलवाड़ा,
दिनांक : 19/1/2024

क्रमांक: स्था/2021/..... 9850

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- संबंधित न्यायालय आदेश की प्रति संबंधित कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली में संलग्न कर उक्त आदेश का इन्द्राज कर्मचारी की सेवापुस्तिका में करे एवं एक प्रति अपने अधीनस्थ सम्बंधित कर्मचारी को अपने स्तर पर दिलवाया जाना सुनिश्चित करे।
- 2- सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय भीलवाड़ा को जिला न्यायालय भीलवाड़ा की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 3- स्थापनानुभाग, जिला न्यायालय, भीलवाड़ा


जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
भीलवाड़ा

19/1/2024